EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY
DATED THE 10TH JUNE, 2022

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 10 जून, 2022

संख्या 33/आ०–1/पं०अ०1/1914/धा० 58/2022.—हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1), की धारा 58 की उप–धारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उप–धारा (1) तथा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा, हरियाणा आबकारी नियम, 2019 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. (1) ये नियम हरियाणा आबकारी (संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।
   (2) ये 12 जून, 2022 से लागू होंगे।

2. हरियाणा आबकारी नियम, 2019 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में, खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

   ''(ग) ''वित्तीय वर्ष'' से अभिप्राय है, 12 जून से शुरू होने वाला और आगामी वर्ष के 11 जून को समाप्त होने वाला वर्ष;''।

3. उक्त नियमों में, नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

   ''5. अनु0–1खच अनुज्ञप्तियों की संख्या,–
   राज्य में अनु–1 खच की थोक अनुज्ञप्तियों की न्यूनतम संख्या दस (10) निर्धारित की गई है। यदि पहले दौर में प्राप्त उपयुक्त आवेदनों की संख्या दस (10) से अधिक है, तो ऐसे सभी आवेदकों को अनु0–1खच अनुज्ञप्ति प्रदान की जायगी और अनु0–1खच अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए कोई और आवेदन आमन्त्रित नहीं किए जाएंगे। यदि पहले दौर में प्राप्त उपयुक्त आवेदनों की संख्या दस (10) से कम है, तो विभाग राज्य में शेष अनु0–1खच के आंबटन के लिए एक और दौर शुरू करेगा। यदि किसी पश्चात्वर्ती दौर में, उपयुक्त आवेदनों की संख्या शेष अनु0–1खच अनुज्ञप्ति की संख्या से अधिक हो जाती है, तो ऐसी शेष अनु0–1खच अनुज्ञप्ति की मंजूरी ऐसे दौर में प्राप्त उपयुक्त आवेदनों के बीच ड्रा ऑफ लोटस द्वारा की जाएगी। इसके बाद और आवेदन आमन्त्रित नहीं किए जायेंगे।''।

4. उक्त नियमों में, नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–
   ''6. भारत में बनी विदेशी मदिरा/देसी मदिरा (अनु0–2/अनु0–14क) के लिए खुदरा ठेकों की संख्या.- भारत में बनी विदेशी मदिरा/देसी मदिरा (अनु0–2/अनु0–14क) के लिए खुदरा ठेकों की अधिकतम संख्या, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए दो हजार पॉच सौ (2500) होगी।''।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY DATED THE 10TH JUNE, 2022

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification

The 10th June, 2022

No.33/X-l/P.A.1/1914/S.58/2022.— In exercise of the power conferred under sub-section (1) and sub-section (2) read with the proviso to sub-section (3) of section 58 of the Haryana Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914), the Governor of Haryana hereby makes the following rules, further to amend the Haryana Excise Rules, 2019, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Excise (Amendment) Rules, 2022.
   (2) They shall come into force on the 12th June, 2022.

2. In the Haryana Excise Rules, 2019 (hereinafter called the said rules), in rule 2, for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

"(c) "financial year" means the year commencing from the 12th June and ending on the 11th June of the following year.".

3. In the said rules, for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:-

"5. Number of L-1BF licenses.-

The minimum number of wholesale licenses of L-1BF in the State is fixed at ten (10). In case, the number of eligible applications received in first round exceeds ten (10), L-1BF licence shall be granted to all such applicants and no more applications shall be invited for grant of L-1BF licence. Further, in case number of eligible applications received in first round is less than 10, the department may initiate another round(s) for allotment of remaining L-1BF in the State. If in any subsequent round, the number of eligible applications exceeds the count of remaining L-1BF licence, then the grant of such remaining L-1BF licence shall be made by draw of lots among the eligible applications received in such round. No more applications shall be invited thereafter.".

4. In the said rules, for rule 6, the following rule shall be substituted, namely:-

"6. Number of retail outlets for IMFL/CL (L-2/L-14A).-

The maximum number of retail outlets for Indian Made Foreign Liquor/Country Liquor (L-2/L-14A) shall be two thousand five hundred (2500) for the financial year 2022-2023.".

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.